



## कुशल युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

निबंधन संख्या .

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. आवेदक का नाम –

2. आवेदक के पिता / पति का नाम –

3. \*लिंग – पुरुष  महिला  तृतीय

पासपोर्ट साइज फोटो

4. जन्म तिथि –

5. आवासीय पता –

6. कोटि – (1) अनुसूचित जाति  (2) अनुसूचित जनजाति  (3) अति पिछड़ा वर्ग   
(4) पिछड़ा वर्ग  (5) सामान्य

7. आधार कार्ड संख्या –

यदि आधार कार्ड नहीं मिला है तो उसकी पंजीयन संख्या (EID NO.)-

8. बैंक की विवरणी –

(1) बैंक एवं शाखा का नाम –

(2) खाता संख्या –

(3) IFSC कोड –

9. मोबाइल न० –

10. ई० मेल आई० डी० –

11. शैक्षणिक योग्यता –

परीक्षा उत्तीर्ण	विद्यालय – संस्थान का नाम	बोर्ड परिषद् का नाम	परीक्षा का अनुक्रमांक	उत्तीर्ण होने का वर्ष
इंटरमीडिएट (१२ वी)				

\* जो लागू हो उसे  कर दें।

12. कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु केंद्र के चयन का विकल्प –

(1) प्रशिक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>
(2) प्रशिक्षण हेतु द्वितीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>
(3) प्रशिक्षण हेतु तृतीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>

### आवेदक की घोषणा

1. मैं घोषणा हूँ कि मेरी आयु आवेदन की तिथि को १५ से २५ वर्ष के बीच है ।
2. मैं बिहार का/की स्थायी निवासी हूँ।
3. शैक्षणिक योग्यता , आयु , बिहार के स्थायी निवासी एवं बैंक में खाता होने के संबंध में मेरे द्वारा स्वभिप्रमाणित (1) इंटरमीडिएट का प्रमाण – पत्र (2) मैट्रिक का प्रमाण – पत्र (3) स्थायी आवासीय प्रमाण – पत्र एवं (4) आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न कर दिया गया है ।
4. मैं घोषणा हूँ की इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाये सही है । यदि कोई सूचना जाँच के क्रम में गलत पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है ।

### कुशल युवा प्रशिक्षण से सम्बंधित घोषणा

8. मैं वचन हूँ कि कुशल युवा प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर –
  - (1) सभी प्रशिक्षण सत्रों / कक्षाओं में उपस्थित
  - (2) अनुशासित होकर प्रशिक्षक के अनुदेशों का पालन
  - (3) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण एवं
  - (4) जबतक उक्त शर्तों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण नहीं मुझे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा ।

### आधार कार्ड के उपयोग से सम्बंधित घोषणा

- मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मैं स्वेच्छापूर्वक सहमति हूँ कि –
- (1) यु०आई० डी०ए०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार / यु०आई० डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन में वर्णित बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय ।
  - (2) इसे एन०पी०सी०आई० ( National Payments Corporation of India ) में दर्ज किया जाय ,ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त बैंक खाते में प्राप्त हो सके मैं हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार का लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी बैंक खाते में प्राप्त करना ।
  - (3) यु०आई० डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने में उपयोग किया जाय ।
  - (4) मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाइल संख्या को एस०एम०एस अलर्ट हेतु उपयोग में लाया जाय ।
  - (5) मैं हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है , उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा ।

स्थान –

तिथि –

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर